Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

लैंगिक समानता और भारतीय मुस्लिम महिलाएँ : भारतीय राज्य की भूमिका

[1]Madhu Bansal, [2]Dr. Arun Kumar and [3]Dr. Mukesh Kumar Yadav
[1]Ph. D Research Scholar, Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu, Rajasthan
[2]Supervisor, Singhania University, Pacheri Beri, Jhunjhunu, Rajasthan
[3]Co- Supervisor, Hans College of Education, Kotputli, Rajasthan

सार

प्रमुख नारीवादी चिंतक यह मानते है कि सभी महिलाएँ एक ही प्रकार के शोषण और भेदभाव का सामना करती है, इस प्रकार वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करने वाली महिलाएँ विमर्श के केन्द्र में नहीं थी। भारतीय नारीवाद भी विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म से सम्बंध रखने वाली महिलाओं के दमन को एक श्रेणी में रखता है और उन महिलाओं के शोषण को सम्बोधित नहीं करता जो अपनी जाति–विशेष, समुदाय–विशेष या धर्म–विशेष के कारण उत्पीडित और दमित है। एक ओर भारतीय राज्य ने महिलाओं की उन्नति और उन्हें अधिकार उपलब्ध कराने के लिए संविधान में समानता व स्वतंत्रता सम्बन्धी प्रावधान किए। लेकिन दूसरी ओर पारिवारिक विषय जैसे– विवाह, तलाक, भरण–पोषण, जमीन–जायदाद आदि से सम्बन्धित मामलें विभिन्न समुदायों के धार्मिक या व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार संचालित किए जाते है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंर्तगत तीन तलाक एक ऐसा मुददा है जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं। धर्म, परंपरा, संस्कृति के नाम पर उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

शब्द कुंजी : लैंगिक असमानता, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, लैंगिक न्याय, नारीवाद,

प्रस्तावना

भारतीय संविधान बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक भारतीय नागरिक को अर्थात् महिला और पुरूष को समान अधिकार उपलब्ध कराता है। राज्य ने विधायी सुधारों के द्वारा महिलाओं को संपत्ति, विरासत का अधिकार दिया, विवाह के लिए महिला–पुरुष की न्यूनतम आयु निश्चित की, बाल– विवाह को प्रतिबंधित किया, महिलाओं को पुरूषों के समान ही विवाह–विच्छेद का अधिकार दिया तथा इसकी प्रक्रिया निश्चित की एवं विवाह– विच्छेद की स्थिति में महिला के अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित अनेक प्रावधान किए। संविधान में महिलाओं की समानता की धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक गारंटी के बावजूद भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों से शासित होता है। इन कानूनों में विवाह, तलाक, भरण–पोषण, जमीन– जायदाद आदि से सम्बन्धित विषय आते है। ''ये व्यक्तिगत कानून न सिर्फ पुरूष और महिला के बीच सम्बन्धों को परिभाषित करते है अपितु महिला और राज्य के बीच भी सम्बन्धों को प्रकट करते हैं।''[1] मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों से संचालित होने के कारण मुस्लिम महिलाओं को इन संवैधानिक प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सका।

स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश भारत में प्रचलित मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 का नाम बदलकर **मुस्लिम व्यक्तिगत कानून** कर लागू किया गया। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंर्तगत तीन तलाक एक ऐसा मुददा है जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं को धर्म, परंपरा, संस्कृति के नाम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्वयंसेवी संगठन इंडिया स्पेंड के अनुसार ''मुसलमानों में तलाक –ए–अहसन, तलाक –ए–हसन और मुबारत तलाक के प्रचलित और मान्य तरीकें है लेकिन मुसलमानो में तलाक का तरीका सिर्फ तीन तलाक को ही समझा जाता है जो गैर

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

इस्लामिक होने के साथ – साथ असंवैधानिक भी है।''[2] तीन तलाक–प्रथा के अनुसार मुस्लिम पुरूष एक ही बैठक में तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर विवाह को एकतरफा तरीके से सदैव के लिए समाप्त कर सकता है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वे के अनुसार ''92 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ मुँहज़बानी या एकतरफा तीन तलाक जैसी प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध चाहती थीं जिसके अनुसार कारण–अकारण जब मर्जी हो, मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे असहाय अवस्था में छोड़ सकता है।''[3]

''महिलाओं के अधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ इस्लाम के सामंजस्य के रास्ते में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना और रूढ़िवादियों के खिलाफ व्याख्यात्मक संघर्ष को अपने पक्ष में करना सरल नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के समक्ष दोहरी चुनौती है – सामुदायिक स्तर और राज्य स्तर पर। सामुदायिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के समक्ष चुनौती है कि अपने अधिकारों के मुद्दों को व्यापक नारीवादी विमर्श में आत्मसात करना और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना। समुदाय के नेता सामुदायिक पहचान के नाम पर मुसलमानों विशेष रूप से महिलाओं के नागरिक और इस्लामी अधिकारों की बलि चढ़ा देते है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति खराब है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, लगातार भारतीय सरकारों ने लैंगिक आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त या संशोधित करने के लिए विधायी उपाय की पहल करने से परहेज किया है।''[4] ''व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में भारत सरकार की यह अस्वीकृति, परिवार और समाज में महिला–अधिकारों को बढ़ावा देने में प्रतिबद्धता की कमी और समानता के लिए महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करती है।''[5] इसका कारण ''व्यक्तिगत कानून के प्रति समुदाय के नेताओं की संवेदनशीलता और देश के बड़े अल्पसंख्यक के वोटों को खोने का जोखिम है।''[6] परन्तु राज्य का यह दायित्व है कि वह महिलाओं के विरूद्ध सभी तरह के विभेदों का दूर करने के लिए सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाए। इस आलोक में मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक –प्रथा पर राज्य के दृष्टिकोण का अध्ययन करना प्रासंगिक है।

भारत में तीन तलाक–प्रथा : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1862 में, इस्लामी आपराधिक कानून को प्रस्थापित कर भारतीय दंड–संहिता लागू की और इस्लामी कानून को केवल शरीयत–आधारित पारिवारिक कानून के क्षेत्र तक सीमित कर दिया जिसका प्रशासन शरीया अदालत के माध्यम से काज़ी द्वारा किया जाता था। 1864 में ब्रिटिश सरकार द्वारा काज़ी के पद को समाप्त कर दिया। इसके बाद लगभग दो शताब्दियों तक भारत में, शरीया कानून को सामान्य दीवानी अदालतों के माध्यम से लागू किया गया। पश्चिमी कानूनी परम्पराओं में प्रशिक्षित न्यायाधीशों ने शरीया के नियमों और सामान्य कानूनी सिद्धांतों को मिश्रित करके ''न्याय, समानता, और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के आधार पर इस्लामिक पारिवारिक– कानून की व्याख्या की। इस कारण शरीयत पारिवारिक कानून में परिवर्तन परिलक्षित होने लगे।''[7] इस प्रकार ''भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी कानूनी व्यवस्था विकसित हुई जिसमें प्रचलित प्रथागत कानूनों ने इस्लामी कानून को काफी हद तक प्रस्थापित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन से संबंधित ऐसे रीति–रिवाज, परम्पराएँ और प्रथाएँ कानून का हिस्सा बन गई, जो इस्लाम से भिन्न थे।''[8]

ब्रिटिश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सैयद राशिद अहमद बनाम अनिसा खातून विवाद तीन तलाक पर महत्वपूर्ण विवाद है। इस विवाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि ''एक ही बैठक में तीन बार उच्चारित तलाक वैध, प्रभावी और अप्रतिसंहरणीय है। पति अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा विवाह तभी कर सकता है जब पत्नी किसी अन्य पुरुष से विवाह कर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करें। दूसरे पति की मृत्यु होने या उससे तलाक लेने के बाद ही वह पहले पति से पुनर्विवाह कर सकती है। इस विवाद

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

में यह स्पष्ट था कि पति ने पत्नी की अनुपस्थिति में काजी के समक्ष तलाक़ दी थी। ये निर्णय ब्रिटिश–भारतीय न्यायालयों की इस समझ पर आधारित थे कि मुस्लिम पारिवारिक कानून दैवीय है और उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।''[9]

''19 वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार के लिए जो आन्दोलन चला, उसी के अंश से भारत में महिलाओं का आन्दोलन भी निकला। आरंभिक काल में महिला आन्दोलन ने अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग रखी। उन्होंने महिलाओं के लिए पुरूषों के समान अधिकार की मांग रखी।''[10] महिला भारतीय संगठन और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे महिला संगठनों का अंतिम लक्ष्य सभी महिलाओं के लिए, जाति या धर्म की परवाह किए बिना नए कानून का निर्माण था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा तथा बाल–विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए शारदा–एक्ट[11] बनाया। लेकिन मुस्लिम नेताओं की मांग पर मुसलमानों को इस एक्ट से बाहर रखा गया, जबकि महिलाओं ने धार्मिक पहचान से स्वयं को अलग रखते हुए शारदा –एक्ट का समर्थन किया।

समय के साथ मुस्लिम महिलाओं ने अनुभव किया कि यदि प्रथागत कानून की जगह शरीयत लागू होती है तो संपत्ति पर उनके अधिकार, विरासत और विवाह में सहमति के अधिकार को वैधता प्राप्त हो जाएगी और इस्लामी पितृसत्ता, परम्परागत पितृसत्ता से बेहतर विकल्प होगी। इसलिए मुस्लिम महिलाओं ने समुदाय से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शरीयत कानूनों को लागू करने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। प्रमुख मुस्लिम संगठन जैसे जमीयत–उल–उलेमा–ए–हिन्द ने मुस्लिम महिलाओं को कृषि भूमि में उनके हिस्से से वंचित करने की कड़ी आलोचना और शरीयत को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून रूप में लागू करने की मांग रखी।

अनेक विरोधों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने इस्लामी शरीयत लागू करने के लिए मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 पारित किया। इस अधिनियम की धारा –2 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि:– ''निर्वसीयती उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति, जिसमें विरासत में मिली या संविदा या दान या स्वीय विधि के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्राप्त हुई स्वीय संपत्ति आती है, विवाह, विवाह–विघटन, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला तथा मुबारत आते हैं, भरण–पोषण, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास तथा न्यास–संपत्ति और वक्फ़ (जो पूर्व तथा पूर्व संस्थाओं तथा पूर्व तथा धार्मिक विन्यासों) से भिन्न हो, से सम्बंधित (कृषि भूमि से संबद्ध प्रश्नों के सिवाय) सभी प्रश्नों में तत्प्रतिकूल किसी रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां पक्षकार मुसलमान है, वहां विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) होगा।''[12] अतः स्पष्ट है कि नारीवादी आन्दोलन के प्रयासों से मुस्लिम महिलाओं को शरीयत प्रदत्त विरासत का अधिकार मिला। परन्तु इस अधिनियम में विवाह की उम्र, तलाक, भरण–पोषण, बच्चों की कस्टडी, बहुविवाह जैसे विषयों का समाधान करने की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। इसके अतिरिक्त भारतीय मुस्लिम समाज में मुस्लिम पुरूष के एकतरफा मौखिक तलाक का अधिकार, एक बैठक में तीन तलाक की प्रथा, बहुविवाह, निकाह–हलाला जैसी कुरीतियाँ प्रचलन में बनी रही।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में हनफी न्यायशास्त्र के आधार पर मुस्लिम कानून को लागू किया। इसने एक ओर मुस्लिम महिला को शरीयत के अंतर्गत उपलब्ध तलाक के अधिकार से वंचित करने के साथ ही उसे न्यायालय से तलाक प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं दी। अब महिलाओं के पास यातनादायी और अपमानजनक विवाह से बाहर आने का एकमात्र उपलब्ध विकल्प था – धर्म–परिवर्तन। मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने पति से अलगाव के लिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा धर्मांतरण का गंभीरता से लिया। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा कि '' 'मुस्लिम महिला द्वारा धर्म त्यागने' के आधार पर मुस्लिम विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता। एक मुस्लिम पत्नी मलिकी न्यायशास्त्र द्वारा स्वीकृत आधारों पर

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

न्यायिक तलाक प्राप्त कर सकती है। मौलाना के इस मत को अधिसंख्य उलेमाओं ने अनुमोदित तथा स्वीकृत किया है।''[13] इसी आधार पर मुस्लिम विवाह –विघटन अधिनियम, 1939 का पारित किया गया।

मुस्लिम विवाह –विघटन अधिनियम, 1939 के अधीन विवाह के विघटन के आधार

मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित महिला अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त कर सकती है–

1. चार वर्ष से पति के लापता होने पर;
2. पति ने दो वर्ष तक पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है;
3. पति को सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया है;
4. बिना युक्तियुक्त कारण के तीन वर्ष तक दाम्पत्य दायित्वों को निभाने में असफल रहा है;
5. विवाह के समय एवं विवाह–विच्छेद की याचिका दायर करने तक नपुंसक रहने पर;
6. दो वर्ष तक पतिके पागल रहने या उससे कोढ़ी होने या रतिजन्य रोग से पीड़ित होने पर;
7. महिला का विवाह पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त होने के पूर्व उसके पिता या अन्य संरक्षक ने किया था एवं अट्ठारह वर्ष की आयु पूरा होने से पूर्व पत्नी द्वारा, बिना सम्भोग के, विवाह को अस्वीकृत करने पर या;
8. पति उसके साथ निर्दयता का व्यवहार करता है;
9. पति द्वारा धर्म– परिवर्तन करने पर स्वतः ही विवाह–विच्छेद हो जायेगा।

मुस्लिम विवाह–विघटन अधिनियम, 1939 अधिनियम केवल उन आधारों को निश्चित करता है जिन पर महिलाएँ तलाक की मांग कर सकती हैं। इस अधिनियम ने विवाह–विघटन की प्रक्रिया और विवाह–विघटन से संबंधित अन्य विषयों जैसे – रखरखाव, बच्चों की कस्टडी, इद्दत का खर्चा, मेहर का भुगतान आदि के समाधान के लिए कोई विधिसम्मत प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। इसके अलावा इस अधिनियम ने तत्काल और एकतरफा तीन तलाक, बहु–विवाह तथा निकाह–हलाला की प्रथा पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया।

स्वतंत्रता के बाद तीन तलाक–प्रथा : भारतीय राज्य की भूमिका

स्वतंत्र भारत के लिए संविधान–निर्माण की प्रक्रिया में नारीवादियों ने महिला–अधिकारों और लैंगिक समानता के मुद्दों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला की स्थिति को प्रभावित करने वाले वैवाहिक मुद्दों को चुनौती दी। आज़ादी के बाद अलग–अलग समुदायों के निजी कानूनों की जगह एक समान नागरिक संहिता बनाने की चुनौती थी। संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों ने समान नागरिक संहिता का इस आधार पर विरोध किया कि मुसलमानों में उत्तराधिकार, विवाह, तलाक आदि के विषय धार्मिक नियमों के आधार पर तय होते है। संविधान–सभा में काफी बहस व वाद–विवाद के पश्चात् भारतीय राज्य ने हिन्दू कोड बिल लागू किया और समान नागरिक संहिता के विषय को राज्य के नीति –निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया। इस प्रकार, भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए कानूनी समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के स्थान पर अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के अपने उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। निवेदिता मेनन कहती है कि ''इन निजी कानूनों के तहत महिलाओं के साथ उन सभी मामलों में भेदभाव होता है जिनका जिक्र संविधान के मूल अधिकारों वाले अध्याय में किया गया है, और जिनके अनुसार धार्मिक आचरण की आजादी उन्हें मिली हुई है।''[14] भारतीय राज्य ने ए.एस. परवीन अख्तर बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया विवाद में स्वीकार किया कि 'तलाक अल–बिद्दत' अर्थात् तीन तलाक प्रथा भारत में मुसलमानों के बीच तलाक का सबसे प्रचलित रूप है। सरकार ने तब तक मुस्लिम व्यक्तिगत

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

कानून में कोई भी बदलाव करने में असमर्थता जताई जब तक कि इसके लिए समुदाय द्वारा मांग न की जाए।

शाहबानो विवाद : राज्य की भूमिका

एक बैठक में तीन तलाक का मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इस संदर्भ में शाहबानो विवाद मील का पत्थर है जो यह दर्शाता है कि पितृसत्ता और धर्म की आड़ में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है और उन्हें दी जाने वाली मामूली–सी राहत का भी धर्म के आधार पर विरोध किया जाता है। इंदौर के रहने वाले अहमद खान ने दूसरा निकाह करने के बाद अपनी पहली पत्नी शाहबानो को तीन तलाक देकर मेहर की रकम का भुगतान कर दिया। तीन तलाक के बाद शाहबानो ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के आधार पर गुजारे–भत्ते के लिए स्थानीय न्यायलय में वाद दायर किया। इस वाद में अहमद खान ने तर्क दिया कि शरीयत के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व पति से इद्दत की अवधि के बाद गुजारा–भत्ता पाने की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन 1979 में न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया और अहमद खान को 25 रूपया प्रतिमाह गुजारा–भत्ता देने का आदेश दिया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने भी एकमत से उच्च न्यायलय के निर्णय को यह कहते हुए सही ठहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किसी जाति, धर्म और वर्ण में अंतर नहीं करती और यह मुस्लिमों पर भी लागू होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों ने तीव्र विरोध किया। अंततः तत्कालीन सरकार ने कट्टरपंथियों के समक्ष झुकते हुए संसद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 प्रस्तुत किया। इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अपने पूर्व पति से गुजारा–भत्ता पाने के अधिकार को इद्दत अर्थात् नब्बे दिन की अवधि तक सीमित कर दिया। इद्दत के बाद महिला के जीवन–निर्वाह का दायित्त्व पिता–पक्ष पर या पिता–पक्ष के निकट सम्बन्धियों का है। इसके बाद महिला के भरण–पोषण की जिम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड को सौंप दी गई। इस अधिनियम के अनुसार पुरूष केवल दो वर्ष की आयु तक के बच्चे का भरण–पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राज्य ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण–पोषण के सम्बन्ध में इस्लामिक कानून की रूढिवादी व्याख्या को संस्थागत बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर दिया।

तीन तलाक–प्रथा की वर्तमान स्थिति : राज्य की भूमिका

वर्तमान समय में भारतीय मुस्लिम महिलाएँ महिलाएँ धर्म के नाम पर शोषण सहने को तैयार नहीं है और वे महिला–विरोधी परंपराओं के विरूद्ध एकजुट हो रही है। 2005 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने तीन तलाक–प्रथा, निकाह–हलाला और बहुविवाह के खिलाफ एक मुखर आंदोलन आरंभ किया। यह मुद्दा 2016 में पूरी ताकत के साथ सामने आया जब तीन तलाक–पीड़िताओं शायरा बानो और आफरीन रहमान ने सर्वोच्च न्यायालय में एक ही बैठक में तीन तलाक की प्रथा को चुनौती दी। यह पहला अवसर था जब तीन तलाक पीड़िताओं द्वारा एक सत्र में तीन तलाक, निकाह–हलाला और बहुविवाह जैसी कुरीतियों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याची ने तर्क रखा कि तलाक अल–बिद्दत की प्रथा भारतीय नागरिकों के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का हनन करती है और महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध है। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पर्सनल लॉ के अंर्तगत मुस्लिम महिलाओं के प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय और संविधान प्रदत्त अधिकारों से उनके वंचित रहने के विषय में रिपोर्ट मांगी, जिस पर भारतीय राज्य ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए कहा कि तीन तलाक–प्रथा महिलाओं के अधिकारों के विरूद्ध है और इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का समर्थन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक–प्रथा

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे छहः माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया और राज्य को इस प्रथा के विरूद्ध कानून बनाने के लिए निर्देशित किया।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम, 2019[15]

भारतीय राज्य ने 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया जो 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी है। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गईः–

1. इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा किसी भी माध्यम से, शब्दों द्वारा, चाहें वे बोले गए हो या लिखित हो या इलैक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में, चाहें कोई भी हो, उद्घोषित की गई तलाक–ए–बिद्दत अर्थात् एक बैठक में तीन तलाक की उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।
2. धारा 4 के अनुसार यदि कोई मुस्लिम पति धारा 3 में निर्दिष्ट रीति से अपनी पत्नी को तलाक की उद्घोषणा करता है तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देय होगा।
3. इस अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि पीड़ित महिला को अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।
4. धारा 6 में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित करने पर तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला को अपनी अव्यस्क संतानों की अभिरक्षा का अधिकार होगा।
5. इस अधिनियम की धारा 7 (क) के अनुसार तीन तलाक तब संज्ञेय अपराध होगा जब इसकी सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को स्वयं पीड़ित महिला या उसके रक्त–सम्बन्धी या विवाह द्वारा सम्बन्धी द्वारा दी जाती है।
6. धारा 7 (ख) के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित निबंधनों एवम् शर्तों के अधीन, पीड़ित महिला के अनुरोध पर न्यायालय समझौते की अनुमति दे सकता है।
7. इस अधिनियम की धारा 7 (ग) में यह व्यवस्था की गई है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के जमानत आवेदन तथा पीड़ित महिला के पक्ष की सुनवाई करने के पश्चात् युक्तियुक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम मुस्लिम पति द्वारा किसी भी माध्यम से, शब्दों द्वारा, चाहें वे बोले गए हो या लिखित हो या इलैक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में, चाहें कोई भी हो, उद्घोषित की गई तलाक अल–बिद्दत अर्थात् एक बैठक में तीन तलाक की घोषणा को प्रतिबंधित करता है और इस प्रकार की घोषणा करने वाले पुरूषों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। इस प्रकार यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के प्रावधानों के अनुसार लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करता है और मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ऐसे अप्रतिसंहरणीय तत्काल तीन तलाक, जिसमें सुलह के भी प्रयास नहीं किए जाते, को प्रतिबंधित करके यह कानून मुस्लिम पुरूषों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है। ''तीन तलाक विरोधी कानून बनने के केवल बीस दिनों के अंदर अर्थात् 21 अगस्त 2019 तक उत्तर प्रदेश में तीन तलाक के 216 मामलें दर्ज किए गए। तीन तलाक के ज्यादातर मामलें दहेज, संपत्ति– विवाद और घरेलू हिंसा के कारण हुए है।''[16] इससे स्पष्ट होता है कि तीन तलाक–प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद भी तीन तलाक की घटनाएँ रूकी नहीं है। लेकिन इस अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत होने वाले विवाद इस बात का परिमाण है कि मुस्लिम महिलाएँ धर्म के नाम पर किए जा रहे अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है। इस कानून की यह जांच अभी

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अनुतरित है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को वास्तविक रूप से लाभ हुआ है या नहीं। लेकिन 'तीन तलाक–प्रथा के अंत' करने के फैसले के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। कानून बन जाने के तुरंत बाद ही यह प्रथा समाप्त हो जाएगी यह आशा करना बेमानी है लेकिन इस प्रथा के गलत होने के वैधानिक चलन की शुरूआत हो चुकी है। यह शुरूआत स्वयं में क्रान्ति के समान है क्योंकि यहीं इस प्रथा का प्रस्थान बिंदु है।

संदर्भ – सूची

[1] सीमा काज़ी (1999). रिपोर्ट 'मुस्लिम वुमेन इन इण्डिया'. पृ 20. source://minorityrights.org. पर उपलब्ध.

[2] हिंदी.वेबदुनिया.कॉम पर उपलब्ध. देखा गया 31.8.2022.

[3] डॉ नूरजहां और जाकिया सोमन (2015). 'Seeking Justice within Family' A National Study on Muslim woman's view on Reform in Muslim Personal Law. Published by Bhartiya Muslim Mahila Andolan. March.

[4] सबीहा हुसैन. ''रिफ्लेक्शन ऑन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप राइट्स एंड विमेंस स्ट्रगल फॉर जेंडर जस्टिस: इलस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया''. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol9/iss1/4 पर उपलब्ध.

[5] सीमा काज़ी (1999). रिपोर्ट 'मुस्लिम वूमेन इन इण्डिया'. पृ 21–22. source://minorityrights.org पर उपलब्ध.

[6] सबीहा हुसैन (2015). 'रिफ्लेक्शन ऑन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप राइट्स एंड विमेंस स्ट्रगल फॉर जेंडर जस्टिस: इलस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया'. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol9/iss1/4 पर उपलब्ध.

[7] एन.जे. कोलसन(1978). ए हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ. एडिनबर्ग : एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस. पृ 155.

[8] सबीहा हुसैन (2016). ए सोशिओ–हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल डिस्कोर्स ऑन द राइट्स ऑफ मुस्लिम वीमेन: कंन्सर्नस फॉर वीमेंस राइट्स और कम्युनिटी आइडेंटिटी (स्पेशल रिफरेन्स टू 1937 एंड 1939 एक्ट्स). जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज. खंड 16, अंक 2. पृ 1–14. http://vc.bridgew.edu/jiws/vol16/iss2/1.

[9] सलमान खुर्शीद(2018). ट्रिपल तलाक: एक्सामिन द फेथ. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

[10] डॉ. संजय कुमार मिश्रा (जुलाई, 2018). ''19 एवं 20 वीं शताब्दी में महिलाओं की निम्न स्थिति का एक अध्ययन''. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट. अंक 3(4), पृ 134–137.

[11] इस एक्ट के अन्तर्गत विवाह योग्य पुरुष की आयु 18 वर्ष तथा विवाह योग्य कन्या की आयु 14 वर्ष सुनिश्चित की गयी।

[12] मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937. धारा –2.

[13] सबीहा हुसैन (2016). ए सोशिओ–हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल डिस्कोर्स ऑन द राइट्स ऑफ मुस्लिम वीमेन: कंन्सर्नस फॉर वीमेंस राइट्स और कम्युनिटी आइडेंटिटी (स्पेशल रिफरेन्स टू 1937 एंड 1939 एक्ट्स). जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज. खंड 16, अंक 2. पृ 1–14. http://vc.bridgew.edu/jiws/vol16/iss2/1.

[14] निवेदिता मेनन (2009).''समान नागरिक संहिता : नारीवाद में मौजूदा बहस'' साधना आर्य आदि (सम्पा). नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवम् मुद्दें. दिल्ली विश्वविद्यालय : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय. पृ 327–333.

[15] मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइटस ऑन मैरिज) एक्ट. 2019. पब्लिशड इन द गजेट ऑफ इण्डिया. एक्सटाऑर्डिनरी. 31 जुलाई 2019. नई दिल्ली.

[16] राष्ट्रीय सहारा. 28 अगस्त, 2019.